छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2014

(आषाढ़ -30, शक संवत 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री गोपीनाथ मुंडे-केन्द्रीय मंत्री, श्री बी.आर.यादव-अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं श्री मदन तिवारी-पूर्व सांसद एवं अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, श्री भूपेश बघेल-सदस्य, श्री अमर अग्रवाल-स्वास्थ्य मंत्री एवं श्री केशव चंद्रा-सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.30 बजे स्थगित होकर 11.36 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. प्रश्नकाल

प्रश्नकाल के दौरान श्री अशोक साहू, सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने एवं चर्चा आरंभ होने के पश्चात श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि प्रतिपक्ष ने माननीय अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प दिया है। संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अनुरोध किया। श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने कथन किया कि प्रश्नकाल के लिए माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया गया है तो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने वाले सदस्य के अलावा अन्य सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, अन्य किसी विषय को उठाने का अधिकार नहीं है। श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि जब विषय होता है तो प्रश्नकाल स्थगित कर के भी चर्चा कराई जाती है। प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष को हटाने की सूचना दी है।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है। प्रश्नकाल आरंभ हो गया है।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 51 तारांकित एवं 77 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. पृच्छा

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डे, राजस्व मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय अध्यक्ष के निर्वाचित होने पर सभा में 06 जन वरी, 2014 को नेता प्रतिपक्ष द्वारा दी गई शुभकामना और व्यक्त विचारों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि जो व्यक्ति सदन में यह बयान देता है और सदन के बाहर आपत्तिजनक व्यवहार करता है उसके खिलाफ सदन को कार्यवाही करने का अधिकार है।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने मांग की कि प्रक्रिया कार्यसंचालन नियम 145 (1) के तहत विधान सभा सचिवालय को नोटिस दी है, उस पर पहले व्यवस्था आ जाये उसके बाद माननीय मंत्री जी का व्यवस्था का प्रश्न आए।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई ।

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने आसंदी से नेता प्रतिपक्ष, श्री टी.एस.सिंहदेव और श्री भूपेश बघेल, सदस्य के विरूद्ध सभा की अवमानना एवं विशेषाधिकार भंग की सूचना ग्राह्य कर चर्चा कराए जाने का अनुरोध किया।

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री खेलसाय सिंह, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, (डॉ.) प्रीतम राम, चिन्तामणी महाराज, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, अमरजीत भगत, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, जयसिंह अग्रवाल, रामदयाल उइके, अमित अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री सियाराम कौशिक, दिलीप लहरिया, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), मोतीलाल देवांगन, जनकराम वर्मा, सत्यनारायण शर्मा, गुरूमुख सिंह होरा, भैयाराम सिन्हा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, भूपेश बघेल, अरूण वोरा, गिरवर जंघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, मनोज सिंह मंडावी, शंकर ध्रुवा, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लखेश्वर बघेल, दीपक बैज, कवासी लखमा एवं श्रीमती देवती कर्मा ।

6. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

(सदन की कार्यवाही 12.19 बजे स्थगित की जाकर 12.28 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि नियम 145 (1) के तहत अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा को पद से हटाने हेतु संकल्प प्रस्तुत किया है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि संकल्प की सूचना आज दिनांक 21 जुलाई, 2014 को प्रात:9.45 बजे सचिवालय को प्राप्त हुई है। संकल्प संवैधानिक प्रावधानों एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य मे अग्रिम कार्यवाही के लिये परीक्षणाधीन है। संविधान के प्रावधानों केअनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। अभी इस विषय पर अनुमति नहीं है।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने कथन किया कि जब कोई सूचना दी जाती है और उस पर आसंदी से व्यवस्था आती है तो उसमें तिथि तय की जाती है। उन्होंने इस विषय पर चर्चा कराए जाने का अनुरोध किया।

माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि संकल्प की सूचना परीक्षणाधीन है, अभी तिथि के निर्धारण का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जब उस पर विचार होगा तो सूचित कर दिया जायेगा।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा पुनः स्पष्ट व्यवस्था दिये जाने की मांग करने पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि आसंदी के विरूद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना सदन का अपमान है। माननीय सदस्य जब तक माफी नहीं मांगते तब तक सदन की कार्यवाही में भाग लेने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

(प्रतिपक्ष एवं पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

7. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री खेलसाय सिंह, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, (डॉ.) प्रीतम राम, चिन्तामणी महाराज, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, रामदयाल उइके, अमित अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री सियाराम कौशिक, दिलीप लहरिया, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), मोतीलाल देवांगन, जनकराम वर्मा, सत्यनारायण शर्मा, गुरूमुख सिंह होरा, भैयाराम सिन्हा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, भूपेश बघेल, अरूण वोरा, गिरवर जंघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, मनोज सिंह मंडावी, शंकर ध्रुवा, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लखेश्वर बघेल, दीपक बैज एवं श्रीमती देवती कर्मा ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों को सभा गृह से बाहर जाने का निर्देश दिया एवं सूचित किया कि निलंबन की अवधि पश्चात निर्धारित की जायेगी।

8. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 21 जुलाई, 2014 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय तथा विधायी कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

वित्तीय कार्य	**समय**
वर्ष 2014-2015 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	3.00 घंटे

विधि विषयक कार्य	**समय**
भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक 2014	30 मिनट

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9. जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार चतुर्थ विधान सभा के जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र का दिनांक 25 फरवरी, 2014 को सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 26 फरवरी, 2014 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गई।

10. जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

11. नियम 267-क के अधीन जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

12. राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा तृतीय विधान सभा के जुलाई, 2013 सत्र में पारित 17 विधेयकों में से शेष बचे 3 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा चतुर्थ विधान सभा के जनवरी-फरवरी, 2014 सत्र में पारित सभी 8 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

13.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान

(2) श्री देवजी पटेल

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा

(4) श्री संतोष बाफना

(5) श्री शिवरतन शर्मा

(6) श्री धनेन्द्र साहू

14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त हुए 1 स्थान के लिए सदस्य का निर्वाचन

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 की शेष अवधि के लिए रिक्त हुए 01 स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग से रिक्त हुए 01 स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2014 को सायं 5.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार दिनांक 23 जुलाई, 2014 को अपराह्न 1.30 बजे से प्रमुख सचिव विधान सभा के कक्ष में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरूवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014 को अपराह्न 2.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 2014 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

   निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

   उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थी के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित **सूचना कार्यालय** से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

15. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने बस्तर संभाग में शाला भवनों का अभाव एवं जर्जर स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

16. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि आज की बैठक स्थगित होने तक की अवधि के लिए निर्धारित करने की घोषणा की ।

17. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

18. नियम 267-क के अधीन विषय

(1). डॉ.खिलावन साहू, सदस्य द्वारा विधान सभा क्षेत्र सक्ती में असंगठित कर्मकारों का पंजीयन होने के बावजूद योजना का लाभ प्राप्त न होने, एवं

(2). श्री श्रवण मरकाम, सदस्य द्वारा धमतरी जिलान्तर्गत सिहावा (नगरी) के श्रृंगि ऋषि आश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने संबंधी, **शून्यकाल की सूचना पढ़ी गई ।**

अपराह्न 1.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 22 जुलाई, 2014 (आषाढ़, 31 शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा